Email / upload.

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)(4)खा.वि./आवंटन/2014 जयपुर, दिनांक 14 .07.2017

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग द्वारा दिनांक 10.03.2017 की अधिसूचना द्वारा राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है।

उक्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी:–

क. जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किये हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबंधित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

ख. जो सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति है, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है; या

ग. जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड है।

अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पॉच वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा: परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य–सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए उनकी नियुक्ति की जा सकेगी। विस्तृत विवरण हेतु विभाग की वेबसाईट **food.nic.raj.in** पर देखें।

उपरोक्त निर्धारित अर्हताऐ रखने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन मय विस्तृत बॉयोडेटा विभागीय ई–मेल आईडी **secy-food-rj@nic.in** अथवा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कमरा नं. 7022, भू–तल, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 21.07.2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

13.07.2017

(आकाश तोमर)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(10)(4)खा.वि./आवंटन/2014 जयपुर, दिनांक 14.07.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ट सहायक, खाद्य मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को हिन्दुस्तान टाईम्स के (अंग्रेजी भाषा) के सभी संस्करणों एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत एवं दैनिक नवज्योति) के सभी संस्करण में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
5. उप निदेशक (जनसम्पर्क), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को हिन्दुस्तान टाईम्स के (अंग्रेजी भाषा) के सभी संस्करणों एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत एवं दैनिक नवज्योति) के सभी संस्करण में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
6. विभागीय प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

13.07.2017

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव